भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1169

30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए नियत

आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को पुनर्जीवित करना

1169. श्री अनुराग शर्मा:

श्री प्रताप चंद्र षडंगी:

डॉ. विनोद कुमार बिंद:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को समर्थन और पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के प्रयासों का क्या अवलोकन किया गया है, जिसमें रोजगार और आर्थिक स्थिरता पर भारी उद्योग क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना और विस्तार को बढावा देने के लिए क्या लक्षित योजनाएं और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि ये पहल संतुलित क्षेत्रीय विकास और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में योगदान दें;

(घ) इन प्रयासों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका क्या है तथा सरकार किस प्रकार टिकाऊ औद्योगिक केन्दों के निर्माण के लिए सरकारी निकायों, निजी उद्यमों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग सुविधाजनक बना रही है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों के अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में इनकी प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) : उद्योगों को सहायता प्रदान करने और उनके जीर्णोद्धार के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 जनवरी, 2022 को साझा प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम" चरण-II को अधिसूचित किया है। इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपये है जिसमें 975 करोड़ रुपये बजटीय सहायता के तौर पर और 232 करोड़ रुपये उद्योग योगदान के रूप में है। स्कीम के तहत अब तक कुल

33 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी परियोजना लागत 1366.94 करोड़ रुपये (उद्योग के अधिक योगदान के कारण) है और सरकार का योगदान 963.19 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) : यह स्कीम मांग-आधारित अखिल भारतीय स्कीम है जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत कार्यबल को कुशल बनाने और भारत में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मिलकर काम करते हैं। इस स्कीम में कोई भी उद्योग भारत की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थायी पारितंत्र बनाने के प्रयोजन से शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं विकास संस्थान तथा सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के साथ मिलकर काम कर सकता है।

(ङ) : "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि" स्कीम के तहत संस्वीकृत प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआरएमसी) का गठन किया जाता ताकि परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा की जा सके।

***